

संतोश कुमार जैन

बनाम

राज्य।

भारत संघ-मध्यक्षेपकर्ता।

[श्री हरिलाल कनिया मुख्य न्यायाधीश, पतंजलि शास्त्री,

तथा दास, न्यायमूर्तिगण]

आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियाँ) अधिनियम (1946 का XXIV), धारा 3 - माल के "उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने के लिए प्रावधान" करने की शक्ति - चाहे उसमें विशेष व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य करने के लिए निर्देश और आदेश जारी करने की शक्ति शामिल हो - विशेष कंपनी द्वारा रखे गए माल की तलाशी लेने और उसे जब्त करने का आदेश - वैधता - धारा 3 के उप-धारा (1) और (2) का दायरा- उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता - जब्ती के आदेश का पालन करने वाले अधिकारियों के लिए बाधा- भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अंतर्गत दोषसिद्धि - भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं के तहत दोषसिद्धि - वैधता - भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 186 के तहत अपराध,- के आवश्यक

आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियाँ) अधिनियम, 1946 की धारा 3 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(1) केंद्र सरकार, जहाँ तक यह आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हो कि किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए, अथवा उसके समान वितरण और उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएँ, वहाँ वह अधिसूचित आदेश द्वारा उसके उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा उससे संबंधित व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता को प्रभावित किए बिना, उसके अंतर्गत किया गया कोई आदेश (जे) ऐसे सभी आनुषंगिक एवं पूरक विषयों का प्रावधान कर सकता है, जिनमें विशेष रूप से परिसरों, वाहनों, जलयान एवं वायुयानों में प्रवेश तथा तलाशी लेना, और ऐसे किसी भी वस्तु/सामग्री को जब्त करना शामिल है, जिसके संबंध में अधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसके संबंध में किसी उल्लंघन का किया जाना, किया जा रहा होना, या किए जाने की संभावना है.....”

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) का खंड (जे) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का, जो खाद्य पदार्थों के संबंध में प्रांतीय सरकार को प्रत्यायोजित की गई थीं, प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल ने एक आदेश पारित किया कि पटना के जिला दण्डाधिकारी तथा राशन व्यवस्था के विशेष अधिकारी को उस कंपनी के पास उपलब्ध चीनी के भंडार की तलाशी लेने का अधिकार दिया गया, जिसमें अपीलार्थी महाप्रबंधक था, और उक्त कंपनी के पास उपलब्ध 5,000 मन चीनी को जब्त करने का निर्देश दिया गया, इस आधार पर दिया गया कि उक्त कंपनी चीनी एवं चीनी उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के अंतर्गत मुख्य नियंत्रक द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन करने वाली थी। जब अधिकारी तलाशी और जब्ती के लिए पहुँचे, तो अपीलार्थी ने उनका विरोध किया, जिसके कारण उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था।

अभिनिर्धारित, (i) अधिनियम द्वारा केंद्रीय सरकार को प्रदत्त यह शक्ति कि वह “उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित या प्रतिबंधित कर सके”, इसमें विनियमित करने या निर्देश जारी करके किसी विशेष उत्पादक या डीलर को प्रतिबंधित करने, या उत्पादन आदि के संबंध में किसी विशिष्ट कार्य को करने या उससे परहेज करने की शक्ति शामिल थी और इसलिए, राज्यपाल का आदेश इस आधार पर अमान्य नहीं था कि वह सामान्य अनुप्रयोग का कोई नियम या विनियमन नहीं था, बल्कि केवल एक विशेष कंपनी से संबंधित आदेश था;

(ii) धारा 3 की उप-धारा (2) ने उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अलावा कोई अन्य या अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान नहीं कीं; और उप-धारा (2) में कुछ मामलों का उल्लेख केवल उदाहरणात्मक था, क्योंकि ऐसा उल्लेख "उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" किया गया था;

(iii) चूंकि किसी वस्तु की जब्ती धारा 3 की उप-धारा (1) के दायरे के भीतर आती है, इसलिए केंद्र सरकार और उसके प्रतिनिधि यानी प्रांतीय सरकार के लिए यह सक्षम था कि वे उप-धारा (1) के तहत जब्ती का आदेश दें यह आदेश उप-धारा (2) के खंड (जे) में परिकल्पित किसी अन्य आदेश के संभावित उल्लंघन से स्वतंत्र और उससे अलग होकर भी दिया जा सकता था";

(iv) यह मानते हुए भी कि चीनी नियंत्रण आदेश के तहत मूल्यों के मुख्य नियंत्रक का आदेश अधूरा और निष्क्रिय था और इसके उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है, राज्यपाल द्वारा दिए गए आदेश में उस आदेश का संदर्भ केवल अतिरिक्त होगा और बाद के आदेश की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा, और अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 186 के तहत उचित रूप से दोषी ठहराया गया था।

अनसुलझा प्रश्न : कि क्या दंड संहिता की धारा 186 के तहत एक अपराध के लिए, यह आवश्यक है कि जिस कार्य में बाधा डाली गई थी, वह विधिवत रूप से अधिकृत और अन्य प्रकार से वैध होना चाहिए।

किंग एम्परर बनाम सिबनाथ बनर्जी [1945] एफ.सी.आर. 195 लागू किया गया।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : अपील (1950 की आपराधिक अपील संख्या

3) यह अपील पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध है, जिसमें सत्र न्यायाधीश, पटना के एक आदेश को संशोधित करने की याचिका को खारिज कर दिया गया था जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत एक अपराध के लिए दोषी ठहराया था : मामले के तथ्य फैसले में दिए गए हैं।

अपीलार्थी के लिए एन. सी. चटर्जी (रामेश्वर नाथ, उनके साथ)।

उत्तरदाता के लिए एस. के. मित्रा (के. दवाल, उनके साथ)।

मध्यक्षेपकर्ता के लिए एस. एम. सीकरी।

1951 5 मार्च। न्यायालय का निर्णय दिया गया

पतंजलि शास्त्री न्यायमूर्ति - यह अपील पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध की गई है, जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया था।

अपीलार्थी हर समय जगदीशपुर जमींदारी कंपनी (इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) का महाप्रबंधक था जो एक चीनी कारखाने के पट्टेदार थे जिन्हें इन कार्यवाही में भिटा चीनी कारखाने के रूप में संदर्भित किया गया था। उन पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी और राशन के विशेष प्रभारी अधिकारी, पटना को उनके आधिकारिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने के लिए मुकदमा चलाया गया था, जब वे 6 दिसंबर, 1947 को कारखाने में 5,000 टन चीनी हटाने गए थे, जिसे बिहार सरकार के 5 दिसंबर, 1947 के आदेश के अनुसरण में कंपनी के पास मौजूद भंडार में से ज़ब्त किया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार था : कंपनी जानबूझकर चीनी और चीनी उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के प्रावधानों के तहत उस ओर से विधिवत अधिकृत सरकार के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी चीनी की आपूर्ति के आदेशों का पालन करने में विफल रही थी और इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने 5 दिसंबर, 1947 को निम्नलिखित आदेश दिया:-

"आवश्यक वस्तु (अस्थायी शक्तियाँ) अधिनियम, 1946 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (जे) द्वारा केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, जो शक्तियाँ भारत सरकार के खाद्य विभाग की अधिसूचना संख्या पीवाई-603 (2)-1, दिनांक 21 अक्टूबर, 1946 के

माध्यम से खाद्य पदार्थों के संबंध में प्रांतीय सरकार को सौंपी गई हैं, बिहार के राज्यपाल प्रसन्नतापूर्वक :

(1) पटना के जिला दण्डाधिकारी, और/या विशेष अधिकारी-प्रभारी (राशन), पटना को मेसर्स जगदीशपुर ज़मींदारी कंपनी, बिहटा जिला पटना के चीनी के भंडार की तलाशी लेने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो 'चीनी एवं चीनी उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947' के खंड 7(1)(ii) के तहत मुख्य मूल्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, बिहार द्वारा जारी आदेश संख्या 1613-पी.सी.आर., दिनांक 27 सितंबर, 1947 जहाँ तक उक्त आदेश उक्त कंपनी से संबंधित है का उल्लंघन करने वाली है, और

(2) यह निर्देश देने के लिए कि उक्त कंपनी द्वारा भंडार में रखी गई 5,000 मन चीनी ज़ब्त कर ली जाए।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

हस्ताक्षरित टी. पी. सिंह,

सरकार के सचिव।"

6 दिसंबर, 1947 को जब नामित अधिकारी उपरोक्त आदेश को पूरा करने के लिए कारखाने गए, अपीलार्थी द्वारा उन्हें बताया कि उसने चीनी को हटाए जाने को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, और तदनुसार यह पाया गया कि चीनी के गोदामों में ताले लगा दिए गए थे और उन तक जाने वाली सड़क को कोयले के ढेरों, जलाऊ लकड़ी और टिनों को बीच में रखकर अवरुद्ध कर दिया गया था, ताकि वाहनों का आवागमन असंभव हो जाए। गोदामों तक जाने वाली एक रेलवे साइडिंग को भी कुछ पटरियों और फिशप्लेट को हटाकर अनुपयोगी बना दिया गया था। इस प्रकार की बाधा के परिणामस्वरूप, अधिकारियों को ताले तोड़ने, रेलवे लाइन की मरम्मत करने और सड़क के अवरोध को साफ करने के लिए सशस्त्र पुलिस की सहायता लेनी पड़ी, जिसके बाद ही कारखाने से चीनी हटाई जा सकी।

अपीलार्थी का मुख्य बचाव यह था कि आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 की उचित व्याख्या के अनुसार, सरकार के लिए 5 दिसंबर, 1947 का आदेश पारित करना संभव नहीं था, परिणामस्वरूप, वह आदेश अवैध और शून्य था, और उस आदेश के निष्पादन में बाधा डालना भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। इस तर्क को खारिज कर दिया गया और अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए तीन सप्ताह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

अपील पर, सत्र न्यायाधीश, पटना ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत होकर दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की, और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत एक पुनरीक्षण याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, हालाँकि, जिसने संविधान के अनुच्छेद 134 (1) (सी) के तहत एक प्रमाण पत्र प्रदान किया कि मामला इस न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त था क्योंकि चूंकि इसमें अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या के संबंध में "पर्याप्त सार्वजनिक महत्व" का बिंदु शामिल था। धारा 3, जहाँ तक यहाँ प्रासंगिक है, इस प्रकार है:-

"3. (1) केंद्र सरकार, जहाँ तक उसे किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने के लिए, या उनके समान वितरण और उचित कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है, वह अधिसूचित आदेश द्वारा, उनके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण; तथा उनमें व्यापार और वाणिज्य के विनियमन या निषेध का प्रावधान कर सकती है।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके तहत दिए गए आदेश में निम्नलिखित प्रावधान हो सकते हैं -

(जे) किसी भी आकस्मिक और पूरक मामलों के लिए, जिसमें विशेष रूप से परिसरों, वाहनों, जहाजों और विमानों में प्रवेश और उनकी तलाशी, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा तलाशी के दौरान उन वस्तुओं की जब्ती, जिसके संबंध में उस व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का

कारण है कि आदेश का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है, या किया जाने वाला है, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या अन्य दस्तावेजों का अनुदान या जारी करना और उनके लिए शुल्क लेना शामिल है।”

यह तर्क दिया गया था कि उप-धारा (1) के तहत एक आदेश सामान्य अनुप्रयोग के नियम या विनियमन की प्रकृति का होना चाहिए, जैसे कि 4 अगस्त, 1947 को केंद्र सरकार द्वारा जारी चीनी और चीनी उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947, यह तर्क दिया गया कि उक्त धारा केंद्रीय सरकार को केवल आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण को “विनियमित या प्रतिबंधित करने” की ही शक्ति प्रदान करती है, और किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के संबंध में तदर्थ या विशेष आदेश बनाने का अधिकार नहीं देती या आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को प्रतिबंधित करता है, और किसी विशेष व्यक्ति या चीज के संबंध में तदर्थ या विशेष आदेश बनाने को अधिकृत नहीं करता है। हम केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्ति के दायरे में इस तरह के प्रतिबंधित निर्माण को रखने का कोई कारण नहीं देखते हैं। “अधिसूचित आदेश” शब्द जिसका अर्थ है “एक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित आदेश” धारा 3 में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित विशेष और सामान्य आदेशों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है। किसी कार्यकारी निकाय को उत्पादन, वितरण और आपूर्ति को विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिए दी गई शक्ति में, किसी विशेष उत्पादक या डीलर को निर्देश जारी करके, या उत्पादन आदि के संबंध में किसी विशिष्ट कार्य को करने या उससे बचने की आवश्यकता के माध्यम से विनियमित या प्रतिबंधित करने की शक्ति भी शामिल हो सकती है; अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। केंद्र सरकार को बाद की धारा के तहत केंद्रीय या प्रांतीय सरकार के किसी भी अधिकारी या अधीनस्थ प्राधिकारी को धारा 3 के तहत आदेश देने की अपनी शक्ति सौंपने का अधिकार है, जो निर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन है। यह अजीब होगा यदि, जैसा कि अपीलार्थी के लिए तर्क दिया गया है, कि एक अधीनस्थ अधिकारी, जिसे मान लीजिए कि एक छोटे क्षेत्र का प्रभार

सौंपा गया है, उसे प्रत्यायोजन के माध्यम से धारा 3 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में केवल 'विधायी प्रकृति' की शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उसे विशिष्ट व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में 'विशेष आदेश' जारी करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। हम नहीं मानते कि ऐसी किसी स्थिति की परिकल्पना की गई होगी। हमारी राय में, धारा 4 के तहत प्रत्यायोजित शक्ति में किसी भी निर्दिष्ट आवश्यक वस्तु के उत्पादन आदि के संबंध में, किसी भी उत्पादक या डीलर को निर्देश जारी करने की शक्ति शामिल होनी चाहिए। यदि ऐसा है, तो प्रत्यायोजन प्राधिकारी को स्वयं धारा 3 के तहत ऐसी शक्ति रखते हैं। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए चीनी और चीनी उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 की धारा 7, "नियंत्रक" को निर्दिष्ट क्षेत्रों, व्यक्तियों या संगठनों को "चीनी या चीनी उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए किसी भी उत्पादक या डीलर को निर्देश जारी करने" का अधिकार देती है। यह प्रत्यायोजन अधिनियम की "धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में" किया गया बताया गया है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार के पास स्वयं धारा 3 के तहत ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति नहीं होती, वह धारा 4 के तहत नियंत्रक को वह शक्ति प्रत्यायोजित नहीं कर सकती थी। इस दृष्टिकोण को धारा 15 की भाषा से बल मिलता है, जो किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ धारा 3 के तहत आदेश दिए जाने पर विचार करती है, जो धारा 3 के तहत किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध आदेश दिए जाने की परिकल्पना करता है, क्योंकि यह "धारा 3 के तहत किए गए एक ऐसे आदेश की बात करता है जो उसे (अर्थात्, वह व्यक्ति जिस पर इसके उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया गया है) किसी भी कार्य को करने से या वैध अधिकार के बिना किसी वस्तु पर कब्जा रखने आदि से रोकता है।" अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा धारा 3 की जो संकीर्ण व्याख्या प्रस्तुत की गई है, वह अधिनियम की संपूर्ण योजना को काफी हद तक अव्यवहारिक बना देगी, और हम बिना किसी संकोच के उसे अस्वीकार करते हैं।

फिर भी, यह तर्क दिया गया कि जब्ती का आदेश केवल उन्हीं शर्तों और सीमाओं के अधीन किया जा सकता है, जो धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (जे) में निर्दिष्ट हैं; अर्थात्

केवल उसी स्थिति में, जब इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति के पास "यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी आदेश [जो उपधारा (1) के अंतर्गत बनाया गया हो] का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है, या किया जाने वाला है"। वर्तमान मामले में, 5 दिसंबर 1947 का आदेश, जिसमें कंपनी की 5,000 मन चीनी की जब्ती का निर्देश दिया गया था, जिसके क्रियान्वयन के दौरान अपीलार्थी द्वारा प्रांतीय सरकार के अधिकारियों के कार्य में बाधा डाले जाने का पाया गया, यह उल्लेख करता है कि कंपनी "चीनी और चीनी उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खंड 7(1)(ii) के अंतर्गत, बिहार के मुख्य नियंत्रक द्वारा दिनांक 27 सितम्बर 1947 को आदेश संख्या 1613 पी.सी.आर के तहत जारी आदेश का उल्लंघन करने वाली है, जहाँ तक उक्त आदेश का संबंध इस कंपनी से है"। बाद के आदेश में, जबकि उसने कंपनी को अन्य बातों के अलावा, "कुछ जिलों के अनुमोदित विक्रेताओं को निर्धारित कीमतों पर चीनी की आपूर्ति करने" का निर्देश दिया, यह जिला या उप-मंडल अधिकारी पर छोड़ दिया कि वह जिले या उप-मंडल आवंटन से अपने जिले या उप-मंडल के अनुमोदित विक्रेताओं के लिए कोटा तय करे और कंपनी को सूचित करे कि आपूर्ति कब और कहाँ की जानी है। निचली अदालतों द्वारा यह पाया गया कि आदेश के अनुसार आपूर्ति की जाने वाली चीनी की कुल मात्रा समय-समय पर बदलती रही, और स्वीकृत व्यापारियों के लिए कभी कोई निश्चित कोटा निर्धारित नहीं किया गया, तथा कंपनी को यह भी कोई सूचना नहीं दी गई कि आपूर्ति कब और कहाँ की जानी है। 27 सितंबर, 1947 का आदेश इस प्रकार अव्यवस्थित और अधूरा रहा और और इस कारण वह आदेश 5 दिसम्बर 1947 तक न तो लागू किया जा सकता था और न ही उसका उल्लंघन किया जा सकता था, यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसे आदेश के संभावित उल्लंघन के आधार पर किसी जब्ती और हटाने का विधिसम्मत आदेश नहीं दिया जा सकता, और चीनी के इस अवैध तथा अनधिकृत हटाने में संलग्न अधिकारी अपने लोक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे थे। इस संदर्भ में *लीला सिंह बनाम क्वीन*

एम्प्रेस¹ तथा क्वीन एम्प्रेस बनाम जोगेंद्र नाथ मुखर्जी² में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया गया, जिनमें यह कहा गया था कि जिस लोक कार्य के निर्वहन में किसी लोक सेवक को बाधित किया गया हो, वह कार्य वैध या विधिपूर्वक अधिकृत होना चाहिए, तभी ऐसी बाधा भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अंतर्गत अपराध मानी जाएगी। दूसरी ओर, प्रतिवादी के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उस धारा के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जिस कार्य में बाधा डाली गई, वह पूर्णतः विधिपूर्वक अधिकृत और वैध हो; यदि वह कार्य कोई लोक सेवक ईमानदारी और सद्भावना में यह विश्वास करते हुए कर रहा हो कि वह उसके सार्वजनिक कर्तव्यों का हिस्सा है, तो भी उस कार्य में बाधा डालना अपराध होगा। इस दृष्टिकोण के समर्थन में क्वीन एम्प्रेस बनाम पूमतई उदयन³, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनाम मदावा भोंजो संतोस⁴, तथा पीर मस्तान राउथर बनाम एम्परर⁵ में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया। हमारा मत है कि इस अपील के निपटारे के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के वास्तविक क्षेत्र पर निर्णय देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे विचार में अपीलार्थी का तर्क किसी अन्य आधार पर ही असफल हो जाता है।

यह स्पष्ट है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2), केंद्रीय सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम की उप धारा (1) के अतिरिक्त कोई नई या भिन्न शक्ति प्रदान नहीं करती, क्योंकि “उसके अंतर्गत बनाया गया आदेश” ही उपधारा (2) में उल्लिखित विषयों में से किसी एक के लिए प्रावधान कर सकता है, ये विषय केवल उदाहरणात्मक हैं, क्योंकि ऐसी सूचीकरण “उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता को

1 आई.एल.आर. 22 कोलकाता. 286.

2 आई.जे.आर. 24 कोलकाता.'320

3 आई.एल.आर. 21 मद्रास 296.

4 31 एम.एल.जे. 505

5 1938 एम.डब्ल्यू.एन. 418.

प्रभावित किए बिना" किया गया है। इस प्रकार किसी वस्तु की जब्ती इस प्रकार उपधारा (1) के दायरे में आती हुई सिद्ध होने पर, यह केंद्रीय सरकार या उसके प्रत्यायोजित अधिकारी, अथवा प्रांतीय सरकार के लिए सक्षम होगा कि वह उस उपधारा के अंतर्गत जब्ती का आदेश पारित करे, और यह अधिकार उपधारा (2) के खंड (जे) में परिकल्पित किसी अन्य आदेश के संभावित उल्लंघन से पृथक् तथा उससे स्वतंत्र होगा। 5 दिसंबर, 1947 के आदेश को, आदेश के संदर्भ के बावजूद, एक वैध आदेश माना जाना चाहिए, भले ही इसमें 27 सितम्बर 1947 के आदेश के उल्लंघन की संभावना का उल्लेख किया गया हो। यदि बाद वाला आदेश अधूरा और निष्क्रिय था और परिणामस्वरूप इसके उल्लंघन का कोई सवाल नहीं हो सकता था, जैसा कि अपीलार्थी के लिए तर्क दिया गया था, तो 5 दिसंबर, 1947 के आदेश में इसका संदर्भ एक अप्रासंगिक अतिरेक होगा और बाद वाले आदेश की वैधता को प्रभावित नहीं कर सकता था। अतः कंपनी की चीनी की जब्ती को विधिवत अधिकृत और वैध माना जाएगा, और अपीलार्थी ने उसके हटाने में बाधा डालकर भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अंतर्गत अपराध किया, यहाँ तक कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उस प्रावधान पर किए गए अधिक कठोर व्याख्या के अनुसार भी।

ऊपर व्यक्त किए गए विचार को *सिबनाथ बनर्जी का मामला*⁶ (1) में प्रिवी काउंसिल के निर्णय से समर्थन प्राप्त होता है। भारत रक्षा अधिनियम, 1939 की धारा 2 (1), जैसा कि भारत रक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1940 की धारा 2 द्वारा संशोधित किया गया है, ने केंद्र सरकार को ब्रिटिश भारत की रक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने आदि के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया है और उपधारा (2) में यह प्रावधान किया गया है कि "उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" अधिनियमित उप-धारा (2), नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं.....। ऐसे विषयों में से एक यह था कि किसी ऐसे व्यक्ति को नजरबंद किया जा

सकता है जो “यथोचित रूप से संदेहास्पद” हो कि उसने सार्वजनिक सुरक्षा के प्रतिकूल आचरण किया है आदि [खंड (x)]। किन्तु, उस धारा के अंतर्गत बनाए गए नियमों में नियम 26 ने सरकार को यह अधिकार दिया कि वह किसी व्यक्ति को नजरबंद कर सकती है, “यदि वह संतुष्ट हो” कि उसे इस उद्देश्य से नजरबंद करना आवश्यक है ताकि उसे पूर्वाग्रहपूर्ण कार्रवाई करने से रोका जा सके.....। संघीय न्यायालय⁷ ने यह माना कि यह नियम *अधिकारातीत* है, क्योंकि यह खंड (x) की सीमा से आगे चला जाता है; इस अर्थ में कि यह किसी व्यक्ति को नजरबंद करना आवश्यक है या नहीं, यह निर्णय पूरी तरह सरकार की संतुष्टि पर छोड़ देता है। निर्णय को उलट दिया गया और बोर्ड का निर्णय देते हुए लॉर्ड थैंकर्टन ने कहा: “माननीय न्यायाधीशों के मतानुसार, उपधारा (2) का कार्य केवल उदाहरणात्मक है; नियम बनाने की शक्ति उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई है, और उपधारा (2) के प्रारंभिक वाक्य में जिन “नियमों” का उल्लेख है, वे वही नियम हैं जो उपधारा (1) के अंतर्गत अधिकृत एवं बनाए गए हैं; उपधारा (2) के प्रावधान, उपधारा (1) को सीमित नहीं करते, जैसा कि “उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता को प्रभावित किए बिना” शब्दों से स्पष्ट है। इसमें कोई संदेह नहीं है जैसा कि स्वयं विद्वान न्यायाधीश ने भी माना कि उपधारा (1) की व्यापक भाषा नियम 26 की शर्तों को पर्याप्त रूप से उचित ठहराती है और उपधारा (2) के संबंध में न्यायाधीश द्वारा की गई आलोचनाओं को निष्प्रभावी कर देती है”।

यह हमारे उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) के प्रभाव के संबंध में है।

याचिका खारिज की जाती है। अपीलार्थी का जमानत बांड रद्द कर दिया जाता है और उसे आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया जाता है।

याचिका खारिज कर दी गई।

अपीलार्थी के लिए अभिकर्ता: *राजिंदर नारायण।*

उत्तरदाता और मध्यक्षेपकर्ता के लिए अभिकर्ता: पी. ए. मेहता।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।